प्रेषक,

अनुज सिन्हा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
हरदोई।

विषयः— शासनादेश सं0 1363 / दो—4—2009—45(12) / 1991 टी0सी0 नियुक्ति अनुभाग—4, लखनऊ दिनांकित 13 मई 2009 एवं शासनादेश सं0 1705 / दो—4—2011—45(12) / 1991 टी0सी0 नियुक्ति अनुभाग—4, लखनऊ दिनांकित 03 जनवरी 2012 के अनुसार स्नाातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यार्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित के संदर्भ में, ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, 2018 के परिणाम घोषित होने के पूर्व से ही स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था। इस सम्बन्ध में महोदय को सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने सर्विस रिकार्ड में उक्त स्नातकोत्तर डिग्री को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रार्थना ई—सर्विसेज़ जेओ0 पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की गयी थी (केस आईडी 00016792022), जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश शासनादेश सं0 1363 / दो—4—2009—45(12) / 1991 टी0सी0 नियुक्ति अनुभाग—4, लखनऊ दिनांकित 13 मई 2009 एवं शासनादेश सं0 1705 / दो—4—2011—45(12) / 1991 टी0सी0 नियुक्ति अनुभाग—4, लखनऊ दिनांकित 03 जनवरी 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन होने के पूर्व विधि की स्नातकोत्तर उपाधि धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां का लाभ प्रदान किया गया है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उक्त शासनादेश के परपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने की महती कृपा करें।

प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

सादर।

दिनांक 10.04.2023

भवदीय

(अनुज सिन्हा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं02
हरदोई

संलग्नक—

1. विधि स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति
2. विधि स्नातकोत्तर अंकपत्र की प्रमाणित छायाप्रति